पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.36 / 17 दिनांक 30.10.17

सरकार बनाम महावीर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खडब ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम खडब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1927रकबा 18.20 है0 किस्म जमीन बंजड में से 0.50 है0 पर महावीर पुत्र भगवान सहाय जाति गुजर्र निवासी खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये । अतः गैर सायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गैार किया तो पाया कि गैर सायल महावीर पुत्र भगवान सहाय जाति गुजर्र निवासी खडब तहसील कोटपूतली द्वारा वाके ग्राम खडब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1927 / 18.20है0 किस्म जमीन बंजड मे से0.50 है0 पर जोत कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः महावीर पुत्र भगवान सहाय जाति गुजर्र निवासी खडब तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम खडब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1927 / 18.20 है0 किस्म जमीन बंजड मेंसे 0.50है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जानें के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 4का पचास गुणा 200 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 30.10.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2017 01.8 के रा० सं० 4
के पृष्ठ संख्या 54 पर 200 रु
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली